

# झारखण्ड सरकार

## श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

### अधिसूचना

एस0ओ0

दिनांक.....

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत शब्दियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (संलग्न अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड(डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं.	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीयउपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार वर्ष २००१=१००)
१	२	३	४
1	बॉथ निर्माण एवं सिंचाइ कार्यों के नियोजन	जनवरी, 2021	340.41
2	पकाइ हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	फरवरी, 2021	342.72
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	मार्च, 2021	344.44
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अप्रैल, 2021	345.88
5	डिस्टीलरी के नियोजन	मई, 2021	347.32
6	पार्टीज के नियोजन	जून, 2021	350.49
7	बैकरीज एवं कान्पकेशन के नियोजन	युल	2071.26
8	को-ऑपरेटिव सेवटर के नियोजन	6 माह का औसत	2071.26 6 = 345.21 = 345
9	अन्यूनियम उद्योग के नियोजन	24.10.2019 गे पुनरीक्षित / निर्धारित विन्दु अर्थात् यूटि	301 345-301= 44 विन्दु
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	प्रतिशत यूटि = $\frac{44 \times 100}{301}$	14.61 % की यूटि
11	कैमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन		
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन		
13	सीमेंट प्रो-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
14	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन		
15	ब्लास सीट निर्माण के नियोजन		
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन		
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन		

18	पेपर उद्योग के नियोजन
19	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन
20	होजियारी निर्माण के नियोजन
21	सिंटुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन
23	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन
24	आइसक्रीम एवं कॉल्ड ट्रिक्स के नियोजन
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन
26	फिशरीज के नियोजन
27	खादी ग्रामोदयोग के नियोजन
28	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०स० के नियोजन
29	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं विलनिक्स के नियोजन
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन
32	मुद्रणालय के नियोजन
33	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन
34	हैंडलूम उद्योग के नियोजन
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन
36	रिफेक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन
38	पट्टिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन
39	किसी विश्वविधालयों, रीक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन
42	डेंयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन
46	सिलाई उद्योग के नियोजन
47	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्रूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन
48	विजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स

	ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन		
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन		
50	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन		
51	कृषि नियोजन		
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन		
53	शीशा उद्योग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक		
54	टफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन		
55	इलेक्ट्रोनिक उद्योग के नियोजन		
56	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन		
57	ढलाई(फलुण्डी उद्योग) के नियोजन		
58	विस्कुट उद्योग के नियोजन		
59	कोल विकेट उद्योग के नियोजन		
60	प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसी के नियोजन		
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण टुकारामों को छोड़कर) के नियोजन		
62	मिनरल गार्डिंग के नियोजन		
63	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन		
64	स्पंज आइरन छड़ि निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन		
65	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन		
66	मोटर बाड़ीबिल्डिंग के नियोजन		
67	मेस, कैन्टीन एवं क्लब के नियोजन		
68	चार्ट्ड/कॉम्स्ट अंकरून्डस/मौडिटर/टैक्स कंसल्टेन्ट्सी एण्ड आर्किटेक के नियोजन		
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन		
70	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन		
71	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन		
72	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन		
73	गार्डिंग एण्ड क्रिंग आफ मिनरल और के नियोजन		
74	सवारी एवं नाल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/खलासी/परिचालक आदि के नियोजन		
75	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन		
76	मोबाइल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य		
77	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधिन १९७६ से आधारित नियोजन		

परिवर्तनशील महँगाई भता की दरे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भता की दरे निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-४ में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भता की दरे निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भतों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महँगाई भता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जनवरी से जुन, 2021 (वर्ष 2021 का प्रथम अद्वाश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक- 01.10.2021 की तिथि से देय होगा।  
 (संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७१/२०१०, श्र० नि० 1214 ..... राँची, दिनांक 20/10/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

*2536  
20/10/21*  
सरकार के अवर सचिव।

### अधिसूचना

एस० ओ०..... दिनांक.....  
 का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खण्ड-३ के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७१/२०१०, श्र० नि० 1215 ..... राँची, दिनांक 20/10/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

*2536  
20/10/21*  
सरकार के अवर सचिव।

### NOTIFICATION

S.O...../

dated .....

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XII of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

*2536  
20/10/21*

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	Dam Construction and Irrigation	January, 2021	340.41
2	Shops Selling Cooked food stuff	February, 2021	342.72
3	Tanneries and Leather Manufactory	March, 2021	344.44
4	Cold Storage	April, 2021	345.88
5	Distilleries	May, 2021	347.32
6	Potteries	June, 2021	350.49
7	Bakeries and Confectionaries	Total	2071.26
8	Co-Operative Sector	Average	2071.26
9	Aluminum Industry	Revised /fixed price index no. on-24.10.2019	$\frac{6}{345.21} = 345$
10	Khand sari Industry	Increase	$345-301 = 44$ Point $\frac{44 \times 100}{301}$ $= 14.61\% \text{ की वृद्धि}$
11	Chemical Pharmaceutical Industry		
12	Soap Making Industry		
13	Cement Pre-Stressed Product Industry		
14	Asbestos Cement factory		
15	Glass Sheet Industry		
16	Gun factory		
17	Religious and Social Industry		
18	Paper Industry		
19	Laundry and Washing		
20	Hosiery Manufacturing		
21	Manufacture of Sindur and Rang		
22	Manufacture of leather goods		
23	Wood work and Furniture		
24	Ice-cream and Cold drink		

25	Petrol and Diesel Pump
26	Fisheries
27	Khadi and Village Industry
28	Private Ferrise and L.T.C.
29	Hard Coke Oven
30	Private Hospital, Nursing
31	Construction or maintenance of Road or in building construction
32	Printing Press
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)
34	Handloom Industry
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry
37	Any shop or Establismnt
38	Public Motor Transport
39	Any University, Education Research or lultural Institution
40	Hotels, Eating House and Resturant
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment
42	Dairies and Poultry Farms
43	Auto Mobile Engineering
44	Cinema Industry
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills
46	Tailoring Industry
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry
49	Plastic Industry
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry
51	Employment in Agriculture
52	Book Binding Industry
53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactury

55	Electronics Industry
56	Plywood Industry
57	Foundry Industry
58	Biscuit Industry
59	Coal Briquette Industry
60	Private Security Agency
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)
62	Mineral Grinding Industry
63	Employment of Sweeping and Cleaning
64	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots
65	Employment in Motor garages and workshops
66	Employment of Motor Body Building.
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.
71	Employment in Electricity Generator and supply
72	Employment in Decoration of Pandal etc.
73	Grinding and crushing of Mineral ore.
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.
75	Computer Coaching Institute etc.
76	Employment of Mobile Tower etc.
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if

index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of January-June, 2021, which is 1<sup>st</sup> half of 2021, will be payable from 01.10.2021 -

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 1214 Ranchi, Dated 20/10/2021]

By Order of the Governor of Jharkhand,-

2536  
20/10/21  
Under Secretary to Government

जापांक -२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श०नि०..... 1214 ..... राँची, दिनांक 20/10/2021

प्रतिलिपि:-भारीकाक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५००प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का काष्ट करें।

2536  
20/10/21  
सरकार के अवर सचिव।

जापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श०नि०..... 1214 ..... राँची, दिनांक 20/10/2021

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, अम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, अम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।  
2536  
20/10/21  
सरकार के अवर सचिव।

जापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श०नि०..... 1214 ..... राँची, दिनांक 20/10/2021

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, अम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, अम मंत्रालय (वैज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य अमायुक्त(केन्द्रीय), अम शक्ति भवन, नई दिल्ली / क्षेत्रीय अमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक, लेबर व्यूरो, शिमला /घण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमणलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात् पर्षद(केन्द्रीय)अम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात् पर्षद के सभी सदस्यण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/ निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों(तकनीकी सहित)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

2536  
20/10/21  
सरकार के अवर सचिव।

2536  
20/10/21  
सरकार के अवर सचिव।

## अनुसूची-1

क्रमसं.	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं। एवं तिथि	जुलाई से दिसम्बर 2018 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर अन्यतर माजदूरी दो निधारित की गई है।	जनवरी, 2021 से जुलाई 2021 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर निधारित की गई है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (१ - ४)	इके हुए मूल्य सूचकांक पर अनुसूचित महंगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि देनी होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं। -1879 दिनांक- 24.10.19	301	345 -44 विन्तु अचौल <b>44 X 100</b> 301 <b>=14.61%</b> की वृद्धि	345-301 =44 विन्तु अचौल <b>44 X 100</b> 301 <b>=14.61%</b> की वृद्धि	क) ₹ 274.81 पर ₹ 40.15 प्रतिदिन ख) ₹ 287.90 पर ₹ 42.06 प्रतिदिन ग) ₹ 379.51 पर ₹ 55.45 प्रतिदिन घ) ₹ 438.39 पर ₹ 64.06 प्रतिदिन	दिनांक- 01.10.2021 से देय
2	पकड़ हुड़ खाद्य वस्तु बेपत्र वाली टुकानों के नियोजन						<u>गारिक</u>
3	चमे शोधनालय और चमे विनिर्माणशालाओं के नियोजन		तदेव			क) ₹ 7145.06 पर ₹ 1043.89 प्रतिमाह ख) ₹ 7485.40 पर ₹ 1093.62 प्रतिमाह ग) ₹ 9867.26 पर ₹ 1441.80 प्रतिमाह घ) ₹ 11398.14 पर ₹ 1665.27 प्रतिमाह	
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन		तदेव				
5	डिस्टीलरी के नियोजन		तदेव				
6	पोट्रीज के नियोजन		तदेव				
7	बैंकरीज एवं बाजारकरण के नियोजन		तदेव				
8	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन		तदेव				

४५-४९

1	2	3	4	5	6	7	8
9	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
14	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
15	ब्लास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
18	पेपर उथयोग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
19	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
20	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
21	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
23	उड वक्स एवं फर्नीचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
24	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
26	फिशरीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
27	खाटी ग्रामोध्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
28	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
29	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं विलनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
32	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
33	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
34	हैंडलूम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36	रिफैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39	किसी विश्वविधालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
41	उन्हीं कातीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
46	सिलाइ उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
47	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्रूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
48	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्क तथा फ्लोरेन्स ट्रूब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
50	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खनन एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
51	कृषि नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
53	शीशा उद्योग के नियोजन (ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
54	टफ्टी, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
55	इलेक्ट्रोनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
56	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
57	ढलाई(फ़र्फ़ारी उधयोग) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
58	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
59	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
60	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
62	मिनरल गार्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
63	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
64	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
65	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
66	मोटर बाड़ीबिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
67	मेस, कैटीन एवं क्लब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
68	चार्टेड/कॉस्ट अकाउन्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आकिटेक के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग उद्योग इन्स्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
70	जमीन के नीचे बाटर सफ्टाई पाईप लाइन एवं केबल विधाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
71	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाइ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
72	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
73	ग्राइडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल और के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
74	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
75	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
76	मोबाइल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
77	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिन् १९७६ से आच्छादित नियोजन		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-२/एम०डब्ल्यू०-२०७१/२०१०, क्र०नि० १२१५ रॉची, दिनांक २०।।०।।३०२।।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

२४३५  
२०।।०।।२।।

सरकार के अवर सचिव।

अलै-४

## Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2018 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of January, 2021 to June, 2021 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1879 Date— 24-10-19	301	345	345-301 =44 Or <u>44 x100</u>	(a) On Rs. 274.81 Rs. 40.15 per day (b) On Rs. 287.90 Rs. 42.06 per day (c) On Rs. 379.51 Rs. 55.45 per day (d) Rs. 438.39 and above Rs. 64.05 per day	From 01.10.2021
2	Shops Selling Cooked food stuff	-Do-			301 =14.61 %		
3	Tanneries and Leather Manufactory	-Do-					
4	Cold Storage	-Do-					
5	Distilleries	-Do-					
6	Potteries	-Do-					
7	Bakeries, and Confectionaries	-Do-					

Monthly

(a) On Rs. 7145.06 Rs.  
1043.89 per month  
(b) On Rs. 7485.40 Rs.  
1093.62 per month  
(c) On Rs. 9867.26  
Rs.1441.60 per month  
(d) Rs. 11398.14 and above  
Rs.1665.27 per month

out 4

0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Co-Operative Sector	-Do-						
9	Aluminum Industry	-Do-						
10	Khandsari Industry	-Do-						
11	Chemical Pharmaceutical Industry	-Do-						
12	Soap Making Industry	-Do-						
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	-Do-						
14	Asbestos Cement factory	-Do-						
15	Glass Sheet Industry	-Do-						
16	Gun factory	-Do-						
17	Religious and Social Industry	-Do-						
18	Paper Industry	-Do-						
19	Laundry and Washing	-Do-						
20	Hosieries Manufacturing	-Do-						
21	Manufacture of Sindur and Rang	-Do-						
22	Manufacture of leather goods	-Do-						
23	Wood work and Furniture	-Do-						
24	Ice-cream and Cold drink	-Do-						
25	Petrol and Diesel Pump	-Do-						
26	Fisheries	-Do-						
27	Khadi and Village Industry	-Do-						
28	Private Ferries and L.T.C.	-Do-						
29	Hard Coke Oven	-Do-						

24/9

0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	Private Hospital, Nursing	-Do-						
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	-Do-						
32	Printing Press	-Do-						
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	-Do-						
34	Handloom Industry	-Do-						
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design.	-Do-						
36	Refractory's, Fire bricks ceramic Industry	-Do-						
37	Any shop or Establishment	-Do-						
38	Public Motor Transport	-Do-						
39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	-Do-						
40	Hotels, Eating House and Restaurant	-Do-						
41	Any, Woolen Carpet making of Shawl weaving Establishment	-Do-						
42	Dairies and Poultry Farms	-Do-						
43	Auto Mobile Engineering	-Do-						
44	Cinema Industry	-Do-						
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	-Do-						
46	Tailoring Industry	-Do-						
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	-Do-						
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	-Do-						
49	Plastic Industry	-Do-						

20/- M

0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-						
51	Employment in Agriculture	-Do-						
52	Book Binding Industry	-Do-						
53	Dahi, Card Board, Mill Board, Corugated Board, Gatta Board Manufactory	-Do-						
54	Electronics Industry	-Do-						
55	Plywood Industry	-Do-						
	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)	-Do-						
56	Foundry Industry	-Do-						
57	Biscuit Industry	-Do-						
58	Coal Briquette Industry	-Do-						
59	Private Security Agency	-Do-						
60	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	-Do-						
61	Mineral Grinding Industry	-Do-						
62	Employment of Sweeping and Cleaning	-Do-						
63	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	-Do-						
64	Employment in Motor garages and workshops	-Do-						
65	Employment of Motor Body Building	-Do-						
66	Employment of Mess, Canteens and Clubs	-Do-						
67	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect	-Do-						
68	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-						
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)	-Do-						
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-						

71	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Employment of Mobile Tower etc.	Notification No-1469, 1470 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

[No-2/MW-2071/2010, L & T-.....] 215 ..... Ranchi, Dated 20/10/2021

By order of the Governor of Jharkhand,

Under Secretary to Government

not